


23.5.24

पजाबली पेश हुई वार्दा अधिवक्ता अनुपस्थित।  
 प्रकरण संशोधित अनवान एवं तामिल हेतु अतिम अवसर  
 दिख जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। -याचालय  
 द्वारा क्व-क्वटर तीन बार आवान करावर्त गर्ती  
 बावजूद इन्से कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ जिससे यह  
 जाहिर होता है कि वार्दा अपने वाद के प्रति गंभीर  
 नहीं हैं तथा अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहता  
 हैं।

अतः वार्दा का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम  
 हाजरी अदम पेशी में बरिज किया जाता है। निर्णय करे उत्तर  
 शुभाया गया।

प्रकरण फ़ैसल शुगा होकर नम्बर से उपर्ही

  
 (रिया जखी)  
 IAS

